समाहरणालय, सिवान, (गोपनीय शाखा)
पत्र/फैक्स प्रति के कार्यालय का नाम.
पत्रांक प्रेषण संख्या.
20 MAR 2017
जिलाधिकारी
सिवान

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक 07.03.2017 को अग्निकांड की आपदा से निपटने के लिये की जा रही कार्रवाइयो / उपयोगिता प्रमाण पत्र /व्यय प्रतिवेदन/ लंबित डी0सी0 विपत्र/ डी0आर0आर0 रोडमैप के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी जिला पदाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही।

उपस्थिति:

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग
2. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
3. महानिरीक्षक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं
4. संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
5. RISU के सदस्य

- मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक के विषय में संक्षिप्त जानकारी के साथ सभी जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक को अग्निकांड के आपदा से निपटने हेतु पूरी तरह से तैयार रहने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि ग्रीष्म काल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की सम्भावना काफी बढ़ जाती है तथा पूर्व वर्ष में अग्निकांड के कारण कुल 168 व्यक्तियों एवं 1151 पशुओं की मृत्यु के साथ 23026 गृह क्षति एवं 13236 एकड़ में लगी फसल का नुकसान हुआ। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अग्निकांड की घटना मुख्यतः गर्म पछुआ हवा चलने से, ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने अथवा खेत/ खलिहानों में थ्रेसिंग मशीन की हल्की चिंगारी अथवा फसल काटने के उपरान्त खेत को जलाना अथवा जली बिड़ी–सिगरेट को इधर–उधर फेकना मुख्य कारण है। जन जागरूकता का अभाव भी अग्निकांड का मुख्य कारणों में से एक है।
- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अग्निकांड की आपदा से निपटने के लिए की जानी वाली कार्रवाईयों से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप अग्निकांड से बचाव हेतु पूर्व तैयारियाँ, अग्निकांड के दौरान की जाने वाली कार्रवाईयाँ तथा जन–जागरूकता हेतु "क्या करें तथा क्या नहीं करें" के संबंध में जानकारी दी गई। उनके द्वारा विभिन्न जिलों में लंबित व्यय प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा डी0सी0 विपत्र की जानकारी दी गई।

साथ ही बताया गया कि DRR Roadmap, 2015-30 के कार्यान्वयन में ADPC, Bangkok के द्वारा तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है तथा कृषि,

स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के चिन्हित कार्यों यथा कृषि संबंधित Risk Atlas के संकलन के लिए आकड़ा उपलब्ध करना, Early Warning System के उपकरणों को लगाने हेतु स्थान का चुनाव, Hospital Emergency Response Plan का प्रारूप तैयार करना तथा DDMP में उसक समावेश करना, स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधित Risk Atlas के संकलन के लिए आकड़ा उपलब्ध करना, जिला स्तर पर जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के लिए स्थान का चयन एवं पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, जमीनी स्तर पर भागीदारों की आपदा प्रबंधन की क्षमताओं का आकलन एवं क्षमतावर्द्धन हेतु आवश्यक कियान्वयन तथा समन्वयन इत्यादि शामिल है। इन गतिविधियों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कियान्वित करने हेतु तीन जिले यथा नालन्दा, सुपौल तथा पूर्वी चम्पारण का चयन किया गया है, जिसमें संबंधित जिला पदाधिकारियों की अहम भूमिका है।

- महानिरीक्षक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं के द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में फायर टेंडर चालक तथा अग्निशमालय में हाईड्रेंट की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य में अग्निशमालयों की संख्या 107 हैं तथा सभी प्रकार के वाटर टेंडर की संख्या 501 है, जिसमें ऑनरोड 443 है। मिस्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत कुल 210 वाटर टेंडर आवंटित की गई है, परन्तु वाटर टेंडर चलाने हेतु कुल 63 चालकों की कमी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वाहनों के रख–रखाव एवं अन्य कठिनाईयों के आलोक में सभी जिला समादेष्टा को अग्निशाम के कार्यों के लिए डी0डी0ओ0 घोषित किया गया है।
- विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कतिपय जिलो के द्वारा भीषण अग्निकांड के आलोक में विशेष राहत शिविर के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय अनुदेश में पूर्व वर्ष बाढ़ के दौरान राहत शिविर संचालन हेतु निर्गत अनुदेश के अनुरूप संशोधन करने की अपेक्षा की गई। कतिपय जिला पदाधिकारी के द्वारा अग्निकांड के दौरान राहत एवं बचाव के क्रम में अग्निकांड पर काबु पाने के लिए स्थानीय स्तर पर फायर टेंडर में पानी की आपूर्ति हेतु उपयोग किए जा रहे पम्पपींग सेट में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आबादी निष्क्रमण मद से करने की अपेक्षा की गई। साथ ही उनके द्वारा फायर टेंडरों में चालकों की कमी एवं फायर टेंडर की मरम्मति में होने वाले कठिनाईयों का ध्यान आकर्षित किया गया।
- मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया गया :–
  - पूर्व वर्ष 2016 में बाढ़ के दौरान राहत शिविर के संचालन हेतु निर्गत अनुदेश के अनुरूप भीषण अग्निकांड के आलोक में विशेष राहत शिविर के संचालन में तदनुसार संशोधन करने का निदेश आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया।
  - अग्निकांड के दौरान राहत एवं बचाव के क्रम में स्थानीय स्तर पर फायर टेंडर में पानी की आपूर्ति हेतु उपयोग किए जा रहे पम्पपींग सेट में होने

ज्ञापांक– 1प्रा0आ0(2)–24/2006(खंड)....781........./आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/3/17

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिरुद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आबाद निष्क्रमण मद से करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया।

- फायर टेंडर में चालकों की कमी को दूर करने हेतु गृह रक्षा वाहिनी से चालको की प्रतिनियुक्ति राज्य स्तर से सीधे जिलों में करने का निदेश महानिरीक्षक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार, पटना तथा प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को दिया गया। तत्काल जबतक यह व्यवस्था न हो जाय तबतक संबंधित जिला पदाधिकारी, स्थानीय स्तर पर गृह रक्षकों को चालक के रूप में कॉल फार करेंगे।
- फायर टेंडर की मरम्मति की स्वीकृति जिला स्तर पर करने का निदेश महानिरीक्षक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार, पटना को दिया गया। कम खर्च में मरम्मति देने की स्वीकृति जिला समादेष्टा तथा अधिक राशि में मरम्मति देने की स्वीकृति आरक्षी अधीक्षक को देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। राशि की अधिसीमा का निर्णय महानिरीक्षक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं करेंगे।
- मुख्य सचिव के द्वारा जिलों में वैसे क्षेत्रों की पहचान करने का निदेश दिया गया है, जहाँ अग्निकांड की घटना प्रायः होती रहती है तथा वैसे क्षेत्र जो दुर्गम हो एवं अग्निकांड की घटना का इतिहास रहा हो तथा मुख्यालय से फायर टेंडर के ससमय पहुंचने में कठिनाई हो, के आसपास के अनुमंडल/थाना में आवश्यकतानुसार फायर टेंडर की प्रिपोजिशन करने का परामर्श दिया गया।
- मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को लंबित व्यय प्रतिवेदन, डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- मुख्य सचिव द्वारा DRR Roadmap के कार्यान्वयन हेतु ADPC, Bangkok की सहभागी प्रयास की गतिविधियों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित तीन जिले यथा नालन्दा, सुपौल तथा पूर्वी चम्पारण के जिला पदाधिकारी को इस प्रयास में मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोग के साथ इसका मासिक अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव